कार्यालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय, कोटा

Mail :- Dsofood-kot-rj@nic.in

क्रमांक : रसद / वितरण / नीलामी / 2021 / 70 दिनांक : 02 / 02 / 2021

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांकः एफ 13(13)खा.वि. / आवंटन / 2020 दिनांक 25.01.2021 के अन्तर्गत अन्नपूर्णा योजना के अवशेष गेहूं का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नीलामी का स्थान	सामान का विवरण	गेहूं की अनुमानित मात्रा (क्वि मे)	अनुमानित मूल्य (रू)	धरोहर राशि (रू)	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
01	ग्राम सेवा सहकारी समिति मण्डावरा, तहसील दीगोद	गेहूं (मानव उपयोगी)	17 क्विंटल	29,750	1000	17.02. 2021	दोपहर 12 बजे

नीलामी शर्ते :–

1. प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व रूपये 1,000 (एक हजार रूपये) धरोहर राशि के रूप मे नगद जमा कराने होंगे।
2. बोलीदाता स्वयं उपस्थित होकर बोली मे भाग ले सकेगा।
3. गेहूं जैसा है जैसी स्थिति मे है उसी आधार पर विक्रय किया जावेगा।
4. बोलीदाता बोली से पूर्व गोदाम मे रखे गेहूं का निरीक्षण कर सकता है।
5. नीलामी समिति के समक्ष ही नीलामी की जावेगी।
6. बोली समाप्ति के बाद उच्चतम बोली लगाने वाले खरीददार को 25 प्रतिशत राशि नगद तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष राशि का डीडी / बैंकर चेक जिला रसद अधिकारी कोटा के नाम बनवाकर सात दिवस मे कार्यालय मे जमा कराकर माल उठाना होगा।
7. नीमामी बोली बिना कारण बताये स्थगित करने एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति / जिला रसद अधिकारी, कोटा को होगा।
8. माल एवं परिवहन व्यय स्वयं खरीददार को वहन करना होगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वला खरीददार नीलामी उपरान्त सम्पूर्ण राशि जमा कराने मे असमर्थ हुआ तो जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. बोली लगाने वाले खरीददार को बोली समाप्ति के तुरंत पश्चात् माल उठाना होगा।
11. सर्वोच्च बोलीदाता की राशि जमा होने के पश्चात् ही द्वितीय बोलीदाता की धरोहर राशि वापस की जावेगी। अन्य बालीदाताओं की राशि उसी दिन रिफन्ड कर दी जावेगी।
12. बोलीदार को सामान्य वितीय लेखा नियम एवं खाद्य विभाग के आवश्यक निर्देशों की पालना करनी होगी।
13. न्यान क्षेत्र कोटा होगा।

जिला रसद अधिकारी
कोटा

क्रमांक : रसद / वितरण / ICDS / 2021 / 71-78 दिनांक : 02 / 02 / 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, कोटा को प्रेषित कर निवेदन है कि नीलामी हेतु अपना प्रतिनिधि दिनांक 17.02.2021 को दोपहर 12 बजे नीलामी स्थल पर भिजवाने का श्रम करें।
5. श्री निहाल वशिष्ठ, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्या0 हाजा।
6. लेखा शाखा, कार्या0 हाजा।
7. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा।
8. नोटिस बोर्ड।

जिला रसद अधिकारी
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर(रसद), कोटा

Mail :- Dsofood-kot-rj@nic.in

क्रमांक : रसद / वितरण / 2021 / 49 दिनांक: 28 / 01 / 2021

—: आदेश :—

ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व की अन्नपूर्णा योजना के अवशेष गेहूं लगभग 17 क्विंटल के निलामी द्वारा विक्रय करने हेतु प्रशासनिक सुधार(अनुभाग—3) विभाग के आदेश क्रमांकः 6(42)प्र.सु. / अनु.3 / 2017 जयपुर दिनांक 16.10.2017 के अन्तर्गत निम्नानुसार निलामी समिति का गठन किया जाता है :—

1. उपखण्ड अधिकारी दीगोद। (जिला कलक्टर के प्रतिनिधि)
2. जिला रसद अधिकारी, कोटा।
3. कोषाधिकारी कोटा अथवा उनका प्रतिनिधि।

उक्त नीलामी समिति अवशेष गेहूं का नीलामी द्वारा विक्रय कर राशि राजकोष मे जमा कराना सुनिश्चित करे।

जिला कलक्टर(रसद),
कोटा

क्रमांक : रसद / वितरण / 2021 / 50-54 दिनांक: 28/ 01 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर राजस्थान।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दीगोद।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, कोटा।
5. जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), कोटा।

जिला रसद अधिकारी,
कोटा